अध्याय - VI खनन प्राप्तियाँ




अध्याय-VI: खनन प्राप्तियाँ

6.1 कर प्रशासन

राज्य में स्वामिस्व का आरोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज समानुदान नियमावली, 1960 तथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 के द्वारा शासित होता है। अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर, सचिव, उद्योग,

अधिनियमो एव नियमो के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर, सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग तथा निदेशालय स्तर पर, खान निदेशक उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर खान निदेशक को एक अपर खान निदेशक (अ.खा.नि.) और एक उप निदेशक खान (उ.नि.खा.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य को छः अंचलों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक एक उ.नि.खा. के प्रभार में होते हैं। अंचलों को पुनः 24 जिला खनन कार्यालयों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.)/सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) होते हैं। जि.ख.प./स.ख.प. स्वामिस्व एवं अन्य खनन बकाये के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। जि.ख.प. तथा खा.नि. खनन पट्टा क्षेत्रों के निरीक्षण और खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण की समीक्षा के लिए प्राधिकृत होते हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न है:



¹ चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, द्मका, हजारीबाग एवं राँची।


² बोकारो, चतरा, चाईबासा, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दूमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवा एवं सिमडेगा।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान हमने खान एवं भूतत्व विभाग के 51 इकाइयों में से 14 वार्षिक इकाइयों एवं चार द्विवार्षिक इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की योजना बनायी और 'खनन प्राप्तियों' से संबन्धित ₹ 3,205.04 करोड़ के राजस्व संग्रहण वाले 18 इकाइयों में से 17³, इकाइयों की नमूना जाँच की। हमारी लेखापरीक्षा ने 352 मामलों में सन्निहित ₹ 753.16 करोड़ के स्वामिस्व, नियत लगान, दण्ड के अनारोपण/अल्पारोपण एवं अन्य अनियमितताएँ उद्घटित किया जैसा कि तालिका-6.1 में उल्लिखित है।

तालिका-6.1 (₹ करोड़ में)

丣.	वर्ग	मामलों की	राशि
सं.		संख्या	
1	स्वामिस्व का नहीं आरोपण/कम आरोपण	22	708.09
2	नियत लगान का नहीं आरोपण/कम आरोपण	48	2.72
3	कोयले की निम्न श्रेणीकरण के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण	3	0.31
4	दण्ड का नहीं अनारोपण	35	0.26
5	नीलामवाद प्रक्रिया शुरू नहीं किया जाना	36	12.41
6	अन्य मामले	208	29.37
	कुल	352	753.16



128

कार्यालय जि.ख.प, बोकारो, चतरा, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, खुंटी, पाकुड, रामगढ़, राँची, एवं सरायकेला-खरसाँवा, सचिव, खान एवं निदेशक, खान रांची ।

वर्ष के दौरान, विभाग ने 178 मामलों में ₹ 1,020.11 करोड़ के अल्प निर्धारण एवं अन्य खामियों को स्वीकार किया, जिनमें से 128 मामलों में ₹ 674.25 करोड़ हमारे द्वारा 2015-16 में और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में बताए गए थे।

2015-16 के दौरान, विभाग ने प्रारूप कंडिकाओं में हमारे द्वारा इंगित किए गये चार मामले में अंतर्ग्रस्त ₹ 6.76 करोड़ सिहत 12 मामलों में कुल ₹ 352.96 करोड़ की वसूली की।

इस अध्याय में ₹ 593.67 करोड़ के वसूली योग्य वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले की चर्चा की गयी है।

6.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अन्पालन नहीं होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957 तथा खिनज समानुदान (ख.स.) नियमावली, 1960, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये एवं उपभोग किये गये खिनज पर निर्धारित दर से देय, तिथि के भीतर स्वामिस्व के भुगतान का प्रावधान करता है।

खान एवं भूतत्व विभाग ने कंडिका 6.4 से 6.10 में उल्लिखित मामलों में स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग, मासिक विवरणियों आदि की जाँच एवं सत्यापन संबंधी अधिनियमों/नियमाविलयों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 593.67 करोड़ का नहीं/कम आरोपण हुआ।

6.4 धुले हुए कोयले पर स्वामिस्व का अल्पारोपण⁴

कोलियरी द्वारा समर्पित विवरणियों में मिडलिंग, टेलिंग एवं अस्वीकृत कोयले के मूल विक्रय मूल्य के अल्प-मूल्यांकन के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी खनन पट्टा के धारक को, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभोग किये गये खनिज पर द्वितीय अन्सूची में उस समय, उस खनिज पर निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भ्गतान करना है। खन्मः नियमावली, 1960 का नियम 64 बी. (1) प्रावधान करता है की यदि खनिज का संसाधन पट्टा क्षेत्र में किया जाता है तो पट्टा क्षेत्र से हटाये गये संसाधित खिनज पर स्वामिस्व प्रभारित होगा। केंद्र सरकार ने स्वामिस्व की दर के लिए सूत्र = ए+बी.पी. निर्धारित किया है, जहां 'ए' एक निश्चित घटक है और 'बी.पी.' = विक्रय बिलों में करों, अधिभारों एवं अन्य प्रभारों को छोड़कर दर्शाये गये कोयले के मूल्य का 5 प्रतिशत है। स्वामिस्व की यह दर 10 मई 2012 के प्रभाव से, कोयले के मूल्य पर 14 प्रतिशत यथामूल्य संशोधित किया गया था। तदंतर, ख.स. नियमावली, 1960 का नियम 64 ए प्रावधान करता है की राज्य सरकार, भ्गतान के लिए निर्धारित तिथि के 60 दिन के बाद लगान, स्वामिस्व, या शुल्क या अन्य किसी बकाये पर इसके भ्गतान हेत् नियत तिथि की समाप्ति से 16 वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से सामान्य ब्याज प्रभारित करने के लिए प्राधिकृत है। जि.ख.प./स.ख.प. को मांग पंजी के साथ मासिक विवरणियों के आवर्ती जाँच करनी है और वह लगान एवं स्वामिस्व के वसूली के लिए भी उत्तरदायी हैं।

 $^{^4}$ कोल हैंडलिंग एवं प्रिपरेसन प्लांट/कोल वाशरी में आरओएम कोयले के संसाधन से प्राप्त उत्पाद।



कोल वाशरी

हमने जिला कार्यालय, खनन रामगढ़ में, सर्वश्री टाटा स्टील के क़ोलियरी वेस्ट बोकारो 2008-09 से 2014-15 की अवधि के मासिक विवरणियों की कोलियरी द्वारा वाणिज्य कर विभाग में समर्पित व्यापार लेखे/झा.मू.व.क. 409 के साथ तिर्यक-जाँच की (मार्च 2016) और पाया कि 220.98 लाख मी.ट. मिडलिंग, टेलिंग एवं अस्वीकृत कोयले के प्रेषण पर

व्यापार लेखे/झा.मू.व.क. 409 में प्रदर्शित विक्रय मूल्य से समय-समय पर लागू सभी अधिभारों एवं करों को घटाने के बाद प्राप्त मूल विक्रय मूल्य ₹ 5,189.59 करोड़ के आधार पर संगणित आरोप्य स्वामिस्व ₹ 602.04 करोड़ के बदले ₹ 324.64 करोड़ स्वामिस्व का आरोपण किया गया था। इस प्रकार, मूल विक्रय मूल्य के अल्पमूल्यांकन का पता लगाने और वास्तविक मूल विक्रय मूल्य के आधार पर स्वामिस्व के आरोपण में जि.ख.प. की विफलता के कारण, जि.ख.प. ने पट्टेधारी को ₹ 277.40 करोड़ और उस पर देय ब्याज ₹ 168.81 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया जैसा कि तालिका-6.2 में उल्लिखित है।

तालिका-6.2

(₹ करोड़ में)

संसाधित कोयले का वर्ग	<u>अवधि</u> प्रेषित मात्रा (लाख मैं. ट. में)	मूल विक्रय मूल्य	आरोप्य <u>स्वामिस्व</u> आरोपित	अल्प आरोपण	ब्याज (मार्च 2016 तक)	कुल
मिडलिंग	<u>2008-15</u> 152.65	3,175.27	<u>384.97</u> 171.76	213.21	123.91	337.12
टेलिंग	<u>2008-15</u>	1,952.38	<u>208.40</u>	63.60	44.76	108.36
	53.84		144.80			
अस्वीकृत	<u>2014-15</u>	61.94	<u>8.67</u>	0.59	0.14	0.73
जस्पाकृत	14.49	01.94	8.08			0.73
कुल	220.98	5,189.59	602.04 324.64	277.40	168.81	446.21

हमारे द्वारा मामले को इंगित करने पर (मार्च 2016) स.ख.प. ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि ₹ 446.21 करोड़ का मांग जुन 2016 में किया गया है। तदंतर, मांग की वसूली की सूचना अप्राप्त है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.5 गलत दर के अनुप्रयोग के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग संबंधी अधिनियम/नियमों एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों को पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 143.52 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत खनन पट्टा धारक को, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभोग किये गये खनिज पर द्वितीय अनुसूची में उस समय उस खनिज के लिये निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना है। तदंतर, कोयले के विभिन्न श्रेणियों पर स्वामिस्व कि दर रन ऑफ माइन्स (आरओएम) कोयले के बेसिक पीट हेड मूल्य पर आधारित है जबिक फेल्सपार, लौह अयस्क, सोपस्टोन, अश्रक एवम् क्वार्ट्ज़ के लिए स्वामिस्व कि दर, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा प्रकाशित राज्यवार औसत विक्रय मूल्य जो कि ख.स. नियमावली, 1960 के नियम 64 डी के अंतर्गत उस राज्य में उत्पादित खनिज के संदर्भ में स्वामिस्व कि संगणना के लिए मूल्य पर आधारित है। नियम पुनः प्रावधान करता है कि यदि किसी विशेष खनिज के लिए किसी राज्य के लिए सूचना आईबीएम द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया हो तो उस खनिज के लिए अखिल भारतीय सूचना को निर्दिष्ट किया जाएगा।



झारखण्ड के कोयला खदान

6.5.1 हमने तीन खनन कार्यालयों⁵ में कोयले के 58 पट्टों की मासिक विवरणियों की नमूना जाँच की (नवम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच) और पाया कि तीन पट्टेधारियों ने 2007-08 से 2008-09 तथा 2014-15 की अविध के दौरान 93.91 लाख मी.ट. कोयले का प्रेषण किया था। इस प्रेषण पर ₹ 316.72 करोड़ जो कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) दवारा

अधिसूचित आर•ओ•एम कोयले के मूल पीट हेड मूल्य के आधार पर आरोपित किया जाना चाहिए था, के बदले ₹ 173.41 करोड़ का स्वामिस्व आरोपित किया गया। जि.ख.प./स.ख.प. उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर स्वामिस्व की संगणना करने में विफल हुए और पट्टेधारियों को अनुचित लाभ दिया फलस्वरूप ₹ 143.31 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसा कि तालिका-6.3 में उल्लिखित है।

धनबाद, पाक्ड़ तथा रामगढ़।

तालिका-6.3

(₹ लाख में)

क्र. सं.	<u>कार्यालय का नाम</u> पट्टों की संख्या	खनिज का नाम अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख मैट्रिक	आरोप्य <u>स्वामिस्व</u>	कम आरोपण	टिप्पणी
			टन में)	आरोपित स्वामिस्व		
1	<u>धनबाद</u> 1	<u>कोयला</u> 2014-15	0.31	<u>57.76</u> 53.15	4.61	स्वामिस्व के दर की
2	<u>पाकुइ</u> 1	<u>कोयला</u> 2014-15	39.70	7,873.58 5,402.49	2,471.09	गणना की सीआईएल द्वारा अधिससूचित
3	<u>रामगढ</u> 1	<u>कोयला</u> 2007-08, 2008-09 एवम् 2014-15	53.90	23.740.22 11,885.23	11,854.99	आर ओ एम कोयले के मूल पीट हेड मूल्य के आधार पर नहीं की गई थी।
कुल	3		93.91	31,671.56 17,340.87	14,330.69	

हमारे द्वारा मामले को नवम्बर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच इंगित करने पर स.ख.प., धनबाद ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी जबिक स.ख.प., पाकुड़ एवं रामगढ़ ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि ₹ 143.26 करोड़ का मांग अप्रैल एवं जुन 2016 के बीच किया गया है। तदंतर, मांग की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.5.2 हमने जिला खनन कार्यालय, गिरिडीह में वृहद खनिज के सात पट्टों की मासिक विवरणियों कि नमूना जाँच किया (सितम्बर 2015) और पाया कि 2013-14 के दौरान तीन पट्टेधारियों ने 9,710 मी.ट. विभिन्न खनिजों का प्रेषण किया जिस पर आईबीएम द्वारा प्रकाशित औसत मासिक विक्रय मूल्य पर आधारित आरोप्य ₹ 26.28 लाख के बदले ₹ 4.52 लाख का स्वामिस्व आरोपित किया गया। जि.ख.प. ने अनुचित लाभ दिया और स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग संबंधी नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.76 लाख के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसाकि तालिका-6.4 में उल्लिखित है।

तालिका-6.4

(₹ लाख में)

क्र. सं.	<u>कार्यालय का नाम</u> पट्टों की संख्या	<u>खनिज का नाम</u> अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख एमटी में)	<u>आरोप्य स्वामिस्व</u> आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण
1	<u>फेल्सपार</u> 1	2013-14	1,390	<u>0.90</u> 0.53	0.37
2	<u>माईका</u> 1	2013-14	2,035	<u>21.66</u> 1.63	20.03
3	<u>क्वार्ट्ज</u> 2	2013-14	4,985	<u>2.64</u> 1.87	0.77
4	<u>सोपस्टोन</u> 1	2013-14	1,300	<u>1.08</u> 0.49	0.59
	कुल		9,710	<u>26.28</u> 4.52	21.76

हमारे द्वारा मामले को सितम्बर 2015 में इंगित करने पर स.ख.प. ने कहा (सितम्बर 2015) कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तदंतर, जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.6 नियत लगान का नहीं आरोपण/कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत पहेधारियों पर ₹ 2.42 करोड़ के नियत लगान का नहीं/कम आरोपण किया गया

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 ए के प्रावधानों के अंतर्गत, खनन पट्टा के धारक को प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को तृतीय अनुसूची में उस समय निर्धारित दर पर पट्टा दस्तावेजों में शामिल सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए नियत लगान का भुगतान करना है। बशर्ते कि जहाँ पट्टाधारी ऐसे पट्टा क्षेत्र से हटाये गए अथवा उपयुक्त खनिज के लिए धारा 9 के अंतर्गत स्वामिस्व भुगतान करने का उत्तरदायी है, वह उस क्षेत्र का स्वामिस्व अथवा लगान, जो भी अधिक हो, भ्गतान करने का दायी होगा।

हमने चार खनन कार्यालयों में 85 पट्टेधारियों के मासिक विवरणियों के साथ माँग, संग्रहण एवं बकाया (डी.सी.बी.) पंजी की नमूना जाँच किया (अक्टुबर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच) और पाया कि 3,560.608 हेक्टेयर से आच्छादित 37 पट्टों के मामले में, पट्टेधारियों ने 2008-09 से 2014-15 के दौरान खनिजों का निष्कर्षण नहीं किया था और वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियत लगान के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। जि.ख.प. असावधान थे और उन्होंने डी.सी.बी. पंजी की आवधिक जाँच नहीं की, फलतः अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत आरोप्य

चाईबासा, जमशेदपुर, राँची एवं सरायकेला-खरसाँवा।

₹ 2.45 करोड़ के बदले 10 मामलों में केवल ₹ 3.29 लाख के नियत लगान के आंशिक माँग का सृजन किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ के नियत लगान का नहीं/कम आरोपण ह्आ।

हमारे द्वारा मामले को इंगित किये जाने के बाद (अक्टुबर 2015 एवं मार्च 2016 के बीच) जि.ख.प./स.ख.प., जमशेदपुर एवं राँची ने कहा (मार्च 2016) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी, जबिक स.ख.प., चाईबासा एवम् सरायकेला-खरसाँवा ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि ₹ 26.26 लाख के मांग का सृजन किया गया है जिसमें से सरायकेला-खरसाँवा में दो पट्टेधारियों से ₹ 78,600 वसूला गया है। तदंतर जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

सदृश्य मामला 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन(राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 6.7 में उठाये गये थे। तथापि, त्रुटियों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है जो राजस्व के आवर्ती रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

6.7 प्रेषण के छिपाव के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

मासिक विवरणियों में कोयले के प्रेषित मात्रा के छिपाव के फलस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण ह्आ।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी खनन पट्टा के धारक को, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभोग किये गये खनिज पर द्वितीय अनुसूची में उस समय उस खनिज के लिये निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना है। तदंतर, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा जुन 1970 में निर्गत आदेश के अनुसार, जि.ख.प./स.ख.प. को डीसीबी पंजी के साथ मासिक विवरणियों की जाँच करनी है।



कोयले का प्रेषण् के लिये रेलवे साईडिंग

हमने जि॰ ख॰ प॰, चतरा में कोयले के आठ पट्टों के मासिक विवरणियों की नम्ना जाँच की (सितम्बर 2015) और पाया कि दो कोलियरियों⁷ ने अप्रैल एवं सितम्बर 2014 के बीच श्रेणी-9 कोयले 14.65 मी.ट. का लाख जबिक प्रारम्भिक शेष दिखलाया संबन्धित पूर्ववर्ती महीने में अंतशेष 15.20 लाख मी.ट. था। इस प्रकार,

⁷ पिपरवार एवं प्रणाडीह।

पट्टेधारियों ने 55,598.42 मी.ट. श्रेणी-9 कोयले के प्रेषण का छिपाव किया। जि.ख.प. द्वारा मासिक विवरणियों को पूर्व के विवरणियों के साथ ही डी.सी.बी. पंजी तथा मांग, समाहरण एवम् शेष पंजी के साथ जाँच करना था जो नहीं किया गया। इसके चलते विसंगतियाँ बनी रही और परिणामस्वारुप ₹ 1.02 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को सितम्बर 2015 में इंगित किये जाने के बाद स.ख.प. ने कहा (सितम्बर 2015) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदंतर जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.8 कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

कोलियरी कन्ट्रोल नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित श्रेणियों का मासिक विवरणियों में दर्शाये गए श्रेणियों से सत्यापन नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.73 लाख के स्वामिस्व का अल्पारोपण ह्आ।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी खनन पृष्टा के धारक को, पृष्टा क्षेत्र से हटाए गये या उपभोग किये गये खिनज पर द्वितीय अनुसूची में उस समय उस खिनज के लिये निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना है। कोलियरी कन्ट्रोल नियमावली, 2004 के नियम 4(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत, किसी कोलियरी के स्वामी को अपने कोयले के श्रेणी की घोषणा करनी होगी और निर्धारित दर पर स्वामिस्व का भुगतान करना होगा।

हमने जिला खनन कार्यालय, धनबाद में 50 कोलियरियों द्वारा समर्पित मासिक विवरणियों के साथ डी.सी.बी. पंजी की नमूना जाँच की (नवम्बर 2015) और पाया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने वर्ष 2014-15 के लिए धनसार कोलियरी के स्टीम कोयले के लिए जी⊶1 तथा आर.ओ.एम. कोयले को जी.-2 श्रेणी के रूप में घोषित किया था। जबिक उस वर्ष के दौरान कोलियरी ने अपने मासिक विवरणियों में 1.13 लाख मी.ट. स्टीम कोयले (जी.-1 श्रेणी) को जी.-2 में निम्न श्रेणीकृत किया जिस पर ₹ 7.94. करोड़ के बदले ₹ 7.70 करोड़ का स्वामिस्व आरोपित किया गया। कोयले की श्रेणियों का कोलियरियों द्वारा घोषित श्रेणी से सत्यापन करने में जि.ख.प. विफल रहे और मासिक विवरणियों में दर्शाये गए श्रेणी पर स्वामिस्व का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.73 लाख स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

कोयले की श्रेणी कोयले की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करता है जो स्थिर कार्बन, उड़नशील पदार्थ, छाई,और सन्निहित आद्रता तथा/या ऊष्मीय धारिता पर आधारित है।

हमारे द्वारा नवम्बर 2015 में मामले को इंगित किये जाने के बाद स.ख.प. ने कहा कि श्रेणी अधिसूचना के अनुसार लेखापरीक्षा आपित्त सही प्रतीत नहीं होता है, तथापि, जाँच के बाद कार्रवाई की जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अवलोकन श्रेणी अधिसूचना के अनुसार स्टीम कोयले की श्रेणी पर आधारित है। तदन्तर, जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं ह्आ है (अक्टूबर 2016)।

6.9 अवैध खनन के लिए दण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

पद्टा समाप्ति के बाद खनिज के निष्कर्षण के लिए झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 13.66 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

झा.ल.ख.स.नि. 2004 के नियम 23(2)(ई) के प्रावधानों के अन्तर्गत, यदि एक लघु खिनज पट्टे के पट्टा नवीनीकरण आवेदन का निष्पादन पट्टा समाप्ति के पूर्व या निर्धारित समयाविध के भीतर समाहर्ता द्वारा नहीं किया जाता है तो पट्टाविध अगले 90 दिनों अथवा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश, जो भी पहले हो, तक विस्तारित समझा जाएगा। यदि पट्टा आवेदन इस समयाविध के भीतर निष्पादित नहीं होता है तो उसे अस्वीकृत माना जाएगा। तदंतर, नियम 54(8) प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास वैध खनन पट्टा/अनुज्ञित्त नहीं है, यदि वह या उसकी ओर से कोई अभिकर्ता, प्रबन्धक या संवेदक लघु खिनज का निष्कर्षण करता है तो वह व्यक्ति अवैध खनन का भागीदार होगा और उससे खिनज का मूल्य वसूल किया जायेगा।

• हमने जिला खनन कार्यालयों, हजारीबाग एवं पाकुड़ में लघु खनिज के 26 पट्टेधारियों की पट्टा संचिका, नवीनीकरण आवेदन संचिका, मांग संचिका, के साथ मासिक विवरणियों, डीसीबी पंजी की नमूना जाँच की (फरवरी एवं मार्च 2016) और पाया कि तीन पट्टों जिसका पट्टा अगस्त 2012 तथा नवम्बर



पत्थर खदान साईट

2013 के बीच समाप्त हो गया था, के नवीनीकरण आवेदन का निष्पादन 90 दिनों कि विस्तारित अविध के भीतर नहीं किया गया था। लेकिन भूतपूर्व पट्टेधारियों ने 90 दिनों कि विस्तारित अविध के बाद जनवरी 2013 और अप्रैल 2014 के बीच 2,296.51 घ₊मी₊ पत्थर का प्रेषण किया, जिस पर ₹ 1.38 लाख स्वामिस्व आरोपित

किया गया। जि.ख.प. पट्टा पंजी तथा मांग संचिका के अनुश्रवण में विफल रहे और ₹ 6.97 लाख के अर्थदण्ड के बदले ₹ 1.38 लाख स्वामिस्व आरोपित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.59 लाख के अर्थदंड का अल्पारोपण हुआ।

• हमने जिला खनन कार्यालयों, गुमला एवं हजारीबाग में लघु खनिज के 31 पट्टेधारियों की पट्टा संचिका, मांग संचिका के साथ मासिक विवरणियों, डीसीबी पंजी की नमूना जाँच की (मार्च 2016) और पाया कि दो मामलों में, संबन्धित खनन निरीक्षकों ने स्थल की भौतिक जाँच के बाद प्रतिवेदित किया कि पट्टा क्षेत्र से बाहर 2,463.57 घनमीटर पत्थर का निष्कर्षण किया गया था जो अवैध था। जि.ख.प. भी अवैध खनन के लिए नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। इस प्रकार, ₹ 8.07 लाख खनिज के मूल्य के समतुल्य, अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

हमारे द्वारा फरवरी और मार्च 2016 के बीच मामले को इंगित किये जाने के बाद, स.ख.प., गुमला एवं हजारीबाग ने कहा (मार्च 2016) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी जबिक, स.ख.प., पाकुड़ ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि ₹ 4.44 लाख का मांग किया गया है जिसे पट्टेधारी द्वारा स्वीकार कर ₹ 1 लाख का भुगतान किया गया है और शेष किस्तों में भुगतान करने के लिए आश्वस्त किया है। तदन्तर जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

6.10 अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना

लघु खनिज के पट्टेधारियों द्वारा मासिक विवरणियाँ समर्पित नहीं की गयी जिसके लिए ₹ 12.33 लाख का दण्ड यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 41(3) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि कोई पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी अगले महीने कि 15 वीं तारीख़ तक मासिक विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है तो पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी को ₹ 20 प्रति विवरणी प्रतिदिन की दर से, अधिकतम ₹ 2,500 प्रति विवरणी, अर्थदण्ड का भुगतान करना अपेक्षित है।

हमने तीन खनन कार्यालयों में लघु खनिज के 55 पट्टेधारियों के मासिक विवरणियों के साथ उत्पादन एवं प्रेषण पंजी तथा डीसीबी पंजी की नमूना जाँच की (मार्च 2016) और पाया कि 19 पट्टेधारियों ने 2009-10 से 2014-15 की अविध के 493 मासिक विवरणियाँ जमा नहीं किया था। तथापि, जि.ख.प. नियमावली के प्रावधानों के अंतगर्त ₹ 12.33 लाख के दण्ड को आरोपित करने में विफल रहे।

_

[?] चाईबासा, गुमला एवं राँची।

हमारे द्वारा मामले को इंगित किये जाने (मार्च 2016) के बाद, स.ख.प., गुमला एवं राँची ने कहा (मार्च एवं अप्रैल 2016 के बीच) कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी जबकि स.ख.प., चाईबासा ने सूचित किया (जुलाई 2016) कि संबन्धित पट्टेधारियों को नोटिस दिया गया है। तदन्तर जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

हमने मामले को मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2016)।

राँची दिनांक र्स. रमण) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली दिनांक (शशि कान्त शर्मा) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक